झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी0 एम0 पी0 सं0–117 / 2019

श्री राधा नाथ झा .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य .... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए : श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए : एस0सी0–II के ए0सी0।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सन

3 / 12.04.2019 याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि वास्तविक गलती के कारण, कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि(ओं) को दूर नहीं किया जा सका है और इस प्रकार, रिट याचिका को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि जैसे ही रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाएगा, त्रुटि(ओं) को दूर कर दिया जाएगा।

पूर्वोक्त सबमिशन के मद्देनजर, इस याचिका की अनुमति है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0एस0 सं0–1327 / 2017 को मूल फाइल में पुनःस्थापित, इस शर्त के अधीन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता दस दिनों के भीतर त्रुटियों को दूर कर देगा, ऐसा न करने से, यह आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा।

(आनंदा सेन, जे0)